संख्या–वे0आ0–2–695 / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 24 सितम्बर, 2014

विषयः मुख्य सचिव समिति द्वारा फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य सचिव समिति द्वारा फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरण पर दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया :––

(i) फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए फाइलेरिया निरीक्षक तथा बायोलोजिस्ट के मध्य वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक का स्तर सृजित किया जाय। तद्नुसार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग में फाइलेरिया निरीक्षक के 89 पदों में से 18 पद वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/– में उच्चीकृत किये जायें।

(ii) वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक के पद पर फाइलेरिया निरीक्षक से शत–प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय। साथ ही बायोलोजिस्ट के 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक से पदोन्नति द्वारा भरे जाये। बायोलोजिस्ट के पद पर वर्तमान में निर्धारित ग्रेड वेतन रू0 2800/– के स्थान पर तत्काल प्रभाव से अर्थात् प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्बन्धित शासनादेश निर्गत होने की तिथि से उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 4200/– निर्धारित किया जाय।

(iii) उपर्युक्त व्यवस्था करने पर फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग का ढ़ॉचा (पदनाम, ग्रेड वेतन, पद संख्या तथा अर्हता/भर्ती की प्रकिया) निम्नवत् निर्धारित होगा :––

क्र0 सं0	पदनाम/(पद संख्या)/ ग्रेड वेतन (रू0 में)	अर्हता/भर्ती की प्रकिया
(1)	(2)	(3)
1	फाइलेरिया निरीक्षक/ (71)/2000	सीधी भर्ती–इण्टरमीडिएट बायोलोजी

2	वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक / (18) / 2800	फाइलेरिया निरीक्षक से पदोन्नति द्वारा
3	बायोलोजिस्ट / (21) / 4200	50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से। अर्हता–बी0एस0सी0(बायोलोजी के साथ)। 50 प्रतिशत वरिष्ठ फाइलेरिया निरीक्षक से पदोन्नति द्वारा।
4	फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी / (06) / 4600	50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से। अर्हता–बी0एस0सी0(बायोलोजी के साथ)। 50 प्रतिशत बायोलोजिस्ट से पदोन्नति द्वारा।

2– कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–695 (1) / दस–2014–8(मु0स0स0) / 2011, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1

2– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।